



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, फ़ैक्स: 0771-2331525, 2446556 वेबसाईट: www.psc.cg.gov.in



क्रमांक 4528/76 / परीक्षा / 2022

रायपुर, दिनांक 02 FEB 2023

“व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2022 के संबंध में दिव्यांगजनों हेतु महत्वपूर्ण सूचना”

आयोग के विज्ञापन क्र. 29/2022/परीक्षा दिनांक 08.12.2022 के तहत व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2022 की लिखित परीक्षा दिनांक 26 फरवरी 2023 (रविवार) को 03 जिला क्रमशः - बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई एवं रायपुर (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है।

02/ वर्तमान में जारी व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2022 में दिव्यांगजनों को सह-लेखक की सुविधा दिये जाने/अथवा रखे जाने की अनुमति दिये जाने संबंधी विस्तृत निर्देश उपरोक्त विज्ञापन क्र. 29/2022/परीक्षा दिनांक 08.12.2022 में जारी किये गये हैं। अतः ऐसे सभी दिव्यांग अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा सहलेखक की व्यवस्था करने का विकल्प का चयन किया गया है वे अभ्यर्थी सहलेखक के साथ सहलेखक रखे जाने की अनुमति लेने के संबंध में अथवा जिन्होंने जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने का विकल्प लिया है, वे सभी विज्ञापन में उल्लेखित समस्त प्रमाण पत्रों के साथ परीक्षा तिथि के 7 दिवस पूर्व संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय से अनिवार्यतः संपर्क करें।

3/ अभ्यर्थी एवं उनके सहलेखक द्वारा व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2022 में केल्व्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी एवं सहलेखक को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्व्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर और स्मार्ट वॉच लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

4/ परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

सचिव

छ०ग० लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर
(छ०ग०)